<u>2016 का परिपत्र सं. 17</u>

फा.सं. 142/8/2016-टीपीएल
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
(टी पी एल डिवीज़न)
****

दिनांक 20 मई, 2016

<u>आय घोषणा योजना, 2016 के संबंध में स्पष्टीकरण</u>

आय घोषणा योजना, 2016 (यहां इसके पश्चात् 'योजना' के रूप में उल्लिखित) जिसे वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय IX के तौर पर सम्मिलित किया गया है, उन व्यक्तियों को आगे आने और अपनी अघोषित आय की घोषणा करने तथा घोषित की गई उक्त अघोषित आय का कुल 45% कर, अधिभार तथा शास्ति (Penalty) के रूप में अदा करने का अवसर प्रदान करती है जिन्होंने पूर्व में पूर्ण कर का भुगतान नहीं किया है । आय घोषणा योजना नियम, 2016 (यहां इसके पश्चात् 'नियमावली' के रूप में उल्लिखित) अधिसूचित किए जा चुके हैं । इस योजना की व्यापकता तथा इसके लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में जनता से प्रश्न प्राप्त हो रहे हैं । बोर्ड ने इस पर विचार किया है तथा निम्नलिखित प्रश्न-उत्तर के रूप में एक परिपत्र जारी करके इन प्रश्नों को स्पष्ट करने का निर्णय लिया है :-

प्रश्न सं. 1: ***यदि इस योजना के अंतर्गत आस्ति में निवेश के रूप में अघोषित आय की घोषणा की जाती है तथा दिनांक 01.06.2016 को उस आस्ति के उचित बाज़ार मूल्य पर कर, अधिभार तथा शास्ति का भुगतान किया जाता है, तो क्या भविष्य में घोषणाकर्ता उस आस्ति की बिक्री पर पूंजी अभिलाभ के लिए दायी होगा ? यदि हां, तो ऐसे मामले में पूंजी अभिलाभ की गणना कैसे की जाएगी ?***

उत्तर : जी हां, घोषणाकर्ता भविष्य में उस आस्ति की बिक्री पर आयकर अधिनियम के अधीन पूंजी अभिलाभ के लिए उत्तरदायी होगा । आयकर अधिनियम के वर्तमान प्रावधानों के अनुसार पूंजी अभिलाभ की गणना बिक्री मूल्य से अधिग्रहण मूल्य घटाकर की जाएगी । फिर भी, चूंकि आस्ति के उचित बाज़ार मूल्य पर कर लगाया जाएगा, पूंजी अभिलाभ के उद्देश्य के लिए अधिग्रहण मूल्य दिनांक 01.06.2016 को उसका उचित बाज़ार मूल्य होगी तथा उसको धारण करने की अवधि उक्त तिथि (अर्थात् इस योजना के उद्देश्यों के लिए उचित बाज़ार मूल्य के निर्धारण की तिथि) से आरंभ होगी ।

प्रश्न सं. 2 : ***यदि किसी व्यक्ति को किसी निर्धारण वर्ष के लिए आयकर अधिनियम की धारा 142(1)/143(2)/148/153A/153C के अधीन नोटिस जारी किया गया है तो क्या वह व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत घोषणा करने के लिए अयोग्य है ?***

उत्तर : वह व्यक्ति केवल उन निर्धारण वर्षों के लिए घोषणा करने के लिए अयोग्य होगा जिनके लिए धारा 142(1)/143(2)/148/153A/153C के अंतर्गत नोटिस जारी हुआ है तथा निर्धारण अधिकारी के समक्ष कार्यवाही लंबित है । वह उन अन्य वर्षों के लिए अघोषित आय की घोषणा करने के लिए स्वतंत्र है जिनके लिए उपर्युक्त धाराओं के अंतर्गत कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है ।

प्रश्न सं. 3: ***इस योजना के अनुसार किसी निर्धारण वर्ष में आयकर अधिनियम की धारा 142, 143(2), 148, 153A या 153C के अंतर्गत कोई नोटिस जारी किया गया है तो उस निर्धारण वर्ष से संबद्ध किसी पूर्व वर्ष के दौरान अर्जित की गई किसी अघोषित आस्ति की घोषणा नहीं की जा सकती । यदि नोटिस जारी हुआ है परंतु घोषणाकर्ता को मिला नहीं है तो उसे कैसे पता लगेगा कि कोई नोटिस जारी किया गया है ?***

उत्तर : कोई घोषणाकर्ता इस योजना के अंतर्गत घोषणा करने के योग्य नहीं होगा यदि अघोषित आय उस वर्ष से संबंधित है जिसमें आयकर अधिनियम की धारा 142, 143(2), 148, 153A या 153C के अंतर्गत 31 मई, 2016 को या उससे पूर्व नोटिस जारी हुआ है तथा घोषणाकर्ता को मिल गया है । घोषणाकर्ता को ऐसे किसी नोटिस की प्राप्ति के संबंध में फार्म - 1 में घोषणा दाखिल करनी होगी ।

प्रश्न सं. 4: ***जब अघोषित आय आस्ति में निवेश के रूप में प्रस्तुत की गई है तथा उक्त आस्ति आंशिक रूप से उस आय से है जिसका पूर्व में कर के लिए निर्धारण हो चुका है, तो इस योजना के उद्देश्य के लिए ऐसी अघोषित आस्ति द्वारा प्रस्तुत अघोषित आय की गणना किस विधि से की जाएगी ?***

उत्तर : आय घोषणा योजना नियम, 2016 के नियम 3 के उप-नियम(2) के अनुसार जहां किसी आस्ति में निवेश आंशिक रूप से किसी ऐसी आय से है जिसका कर के लिए निर्धारण हो चुका है तो ऐसी आस्ति के रूप में प्रस्तुत वह अघोषित आय उस नियम 3 के उप-नियम (1) के अनुसार निर्धारित आस्ति का उचित बाज़ार मूल्य होगा जिसमें से वह राशि घटाई गई है जो 01-06-2016 को उस आस्ति का मूल्य है, उसी अनुपात में जैसा कि निर्धारित आय का आस्ति की कुल लागत से है । निम्नलिखित उदाहरण द्वारा यह स्पष्ट किया जा रहा है :

पूर्व वर्ष 2013-14 में आस्ति के अर्जन में रू. 500/- निवेश किए गए जिनमें से रू. 200/- निर्धारण वर्ष 2012-13 में कर के लिए निर्धारित आय से संबंधित है तथा रू. 300/- पूर्व वर्ष 2013-14 की अघोषित आय से है । 01.06.2016 को उस आस्ति का उचित बाज़ार मूल्य रू. 1500/- है । इस योजना के अंतर्गत इस आस्ति द्वारा प्रस्तुत अघोषित आय होगी :

1500 घटाएं $(1500 \times \frac{200}{500})$ = रू. 900/-

प्रश्न सं 5: ***क्या उस अघोषित आय की घोषणा की जा सकती है जिसका कर के लिए निर्धारण हो चुका है तथा अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष मामला लंबित है ?***

उत्तर : वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 189 के अनुसार घोषणाकर्ता आयकर अधिनियम के अधीन किए गए किसी निर्धारण या पुनर्निर्धारण के पुनः निर्धारण के लिए हकदार नहीं है । अतः वह ऐसी आय के संबंध में कर अनुपालन का लाभ उठाने का हकदार नहीं है । फिर भी, वह उक्त निर्धारण वर्ष की अन्य अघोषित आय की घोषणा कर सकता है जिसका आयकर अधिनियम के अधीन निर्धारण नहीं हुआ है ।

प्रश्न सं. 6: ***जिस व्यक्ति के विरूद्ध कोई तलाशी/ सर्वेक्षण की कार्रवाई आरंभ हो चुकी है, क्या वह इस योजना के अंतर्गत घोषणा दाखिल कर सकता है ?***

उत्तर : (क) इस योजना के अधीन वह व्यक्ति घोषणा नहीं कर सकता यदि तलाशी आरंभ हो चुकी है तथा धारा 153A के अंतर्गत नोटिस जारी करने का समय समाप्त नहीं हुआ है, चाहे संबंधित निर्धारण वर्ष के लिए ऐसा नोटिस जारी न हुआ हो । इस मामले में फिर भी वह व्यक्ति उस निर्धारण वर्ष से संबंधित अघोषित आय के संबंध में घोषणा दाखिल करने के योग्य है जो धारा 153A के अंतर्गत नोटिस के उद्देश्य के लिए संबद्ध निर्धारण वर्षों से पहले है ।

(ख) सर्वेक्षण की कार्रवाई के मामले में इस योजना के अंतर्गत उस व्यक्ति को उस अघोषित आय के संबंध में घोषणा करने से रोक लगाई गई है, जिसमें सर्वेक्षण किया गया था । फिर भी वह व्यक्ति किसी अन्य पूर्व वर्ष की अघोषित आय के संबंध में घोषणा कर सकता है ।

प्रश्न सं. 7: ***जहां तलाशी/ सर्वेक्षण की कार्रवाई की गई तथा निर्धारण पूर्ण किया गया परंतु कुछ आय न तो घोषित की गई और न ही निर्धारित की गई तो क्या इस योजना के अंतर्गत ऐसी अनिर्धारित आय की घोषणा की जा सकती है ?***

उत्तर : जी हां, इस योजना के अंतर्गत ऐसी अघोषित आय की घोषणा की जा सकती है ।

प्रश्न सं. 8 ***इस योजना के आरंभ होने से पूर्व अघोषित आय के संबंध में इस योजना के अधीन यदि कोई घोषणा नहीं की जाती है तो इसके क्या परिणाम होंगे ?***

उत्तर: वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 197(c) के अनुसार जहाँ कोई आय उपार्जित या उत्पन्न या प्राप्त हुई है या इस योजना के प्रारंभ होने से पूर्व ऐसी आय से कोई आस्ति अर्जित हुई है और इस योजना के अंतर्गत कोई घोषणा नहीं की गई है, तो ऐसी आय उस वर्ष में उपार्जित, उत्पन्न या प्राप्त हुई मानी जाएगी या ऐसी आय से अर्जित आस्ति के मूल्य को उस वर्ष में अर्जित माना जाएगा जिसमें निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 142/143(2)/148/153A/153C के अधीन नोटिस जारी किया गया है और आयकर अधिनियम के प्रावधान तदनुसार लागू होंगे |

प्रश्न सं. 9 ***यदि इस योजना के अंतर्गत अघोषित आय की घोषणा की जाती है और उसे वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 196 में दिए गए कारणों से उचित नहीं पाया जाता है तो क्या वह व्यक्ति वित्त अधिनियम, 2016 की धारा197(c) के अंतर्गत परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा ?***

उत्तर ऐसी अघोषित आय के संबंध में जो पूरे सदभाव से घोषित की गई है लेकिन उसे उचित नहीं पाया गया, तो ऐसी आय पर वित्त अधिनियम, 2016 की धारा197(c) में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी | यद्यपि ऐसी अघोषित आय का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के सामान्य प्रावधानों के अधीन किया जाएगा |

प्रश्न सं10: ***यदि कोई व्यक्ति इस योजना के अधीन अपनी अघोषित आय के एक हिस्से की ही घोषणा करता है तो क्या उसे योजना के तहत घोषित की गई आंशिक आय के संबंध में उसे उन्मुक्ति (immunity) मिलेगी ?***

उत्तर: यह अपेक्षा की जाती है कि व्यक्ति अपनी समस्त अघोषित आय की घोषणा करेगा | फिर भी, ऐसे मामले में व्यक्ति को इस योजना के अंतर्गत घोषित की गई अघोषित आय के संबंध में योजना के प्रावधानों के अनुसार उन्मुक्ति प्राप्त होगी और घोषित नहीं की गई अघोषित आय के लिए कोई उन्मुक्ति नहीं मिलेगी |

प्रश्न सं.11 ***क्या कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार के माध्यम से अर्जित की गई अपनी अघोषित आय को इस योजना में घोषित कर सकता है ?***

उत्तर: नहीं | वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 196(b) के अनुसार, यह योजना भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन किसी दण्डनीय अपराध के अभियोजन के संबंध में लागू नहीं होगी | इसलिए, इस योजना के अधीन ऐसी अघोषित आय की घोषणा नहीं की जा सकती है | फिर भी, यदि ऐसी घोषणा की जाती है और पाया जाता है कि ऐसी दर्शायी गई आय भ्रष्टाचार के माध्यम से अर्जित की गई है तो यह तथ्यों की असत्य प्रस्तुतीकरण होगी और ऐसी घोषणा वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 193 के अधीन अमान्य होगी | यदि घोषणा अमान्य हो तो ऐसी आय के संबंध में आयकर अधिनियम के प्रावधान उसी तरह लागू होंगे जैसे किसी अन्य अघोषित आय के लिए लागू होते हैं |

प्रश्न सं.12 ***क्या योजना के अधीन घोषणा के समय, प्रधान आयुक्त/आयुक्त घोषणा के संबंध में किसी तरह की पूछताछ करेंगे ?***

उत्तर: घोषणा के पश्चात प्रधान आयुक्त/आयुक्त पूछताछ करेंगे कि क्या धारा 142(1)/143(2)/148/153A/153C के अंतर्गत उस निर्धारण वर्ष के लिए कोई कार्यवाही लंबित है जिसके लिए घोषणा की गई है | इसके अतिरिक्त घोषाणा के समय उनके द्वारा कोई अन्य पूछताछ नहीं की जाएगी |

प्रश्न सं.13: ***क्या इस योजना के अंतर्गत की गई घोषणाएं गोपनीय रखी जाएंगी ?***

उत्तर: इस योजना में निर्धारितियों की सूचना के प्रकटीकरण संबंधी आयकर अधिनियम की धारा 138 के प्रावधान शामिल हैं | इसलिए घोषित की गई सूचना उसी तरह गोपनीय है जैसे निर्धारितियों द्वारा फाइल की गई रिटर्न गोपनीय होती है |

प्रश्न सं.14 ***क्या योजना के अंतर्गत घोषणा के साथ आस्ति में निवेश के रूप में दर्शायी गई अघोषित आय की मूल्यांकन रिपोर्ट फाइल करना अनिवार्य है?***

उत्तर: यह अनिवार्य नहीं है कि घोषणा के साथ आस्ति में निवेश के रूप में दर्शायी गई अघोषित आय की मूल्यांकन रिपोर्ट फाइल की जाए | फिर भी, घोषणाकर्ता के पास मूल्यांकन रिपोर्ट होनी चाहिए | विभागीय वैबसाइट पर घोषणा ई-फाइल करने के समय कागजातों को अपलोड करने की सुविधा उपलब्ध होगी |

(एकता जैन)
उपसचिव , भारत सरकार

<u>प्रतिलिपि प्रेषित -</u>

1. वित्त मंत्री के निजी सचिव/ वित्त मंत्री के विशेष कार्य अधिकारी/ राज्य मंत्री (राजस्व) के विशेष कार्य अधिकारी ।
2. सचिव (राजस्व) के निजी सचिव ।
3. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष, सदस्य तथा अवर सचिव व उससे ऊपर के स्तर के सभी अन्य अधिकारीगण ।
4. सभी प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त/ प्रधान आयकर महानिदेशक को इस अनुरोध के साथ कि इसे अपने क्षेत्र/ प्रभार के सभी अधिकारियों में परिचालित करवाएं।
5. प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति)/ प्रधान आयकर महानिदेशक (सतर्कता)/ प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रशासन)/ प्रधान आयकर महानिदेशक (राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी) / प्रधान आयकर महानिदेशक (विधि एवं अनुसंधान)
6. आयकर आयुक्त (एम व टी.पी.), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ।
7. विभागीय वेबसाइट पर डालने हेतु वेब मेनेजर को ।